विस्तृत हथकरघा क्लस्टर (समूह) विकास योजना (सीएचसीडीएस)

1. प्रस्तावना

1.1 हथकरघा क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जो लगभग 65 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है । यह क्षेत्र हाथ की बुनाई की पुरातन भारतीय विरासत की सततता का द्योतक है और इसमें बुनकर समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा प्रदर्शित होती है । भारत सरकार द्वारा अनेक नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण किया जा रहा है । पूर्ववर्ती योजना अवधियों में भारत सरकार के अधिकांश योजनागत हस्तक्षेप हथकरघा क्षेत्र में राज्य एजेंसियों और सहकारी समितियों के जरिए किए गए हैं । तथापि, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में वस्त्र उद्योग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और एमएफए के बाद के वातावरण में उभरते हुए मुक्त व्यापार के अवसरों को देखते हुए इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि इस क्षेत्र में संकेंद्रित किन्तु लोचशील एवं परिपूर्ण नीति अपनाई जाए ताकि किसी वैश्वीकृत वातावरण में चुनौतियों का सामना करने के लिए हथकरघा बुनकरों को सुविधा मिल सके । उभरती हुई बाजार प्रवृत्तियों के अनुरूप विकास एवं विविधीकरण का सतत मार्ग प्रशस्त करने के लिए बुनकरों को अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत भी महसूस की गई है ।

1.2 हथकरघा क्षेत्र असंगठित एवं विखंडित स्वरूप का होने के कारण घाटे की स्थिति में है । इसमें शिक्षा का अभाव, पर्याप्त कार्यशील पूंजी का अभाव, अपर्याप्त अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकियों के प्रति खराब प्रदर्शन, बाजार आसूचना का अभाव, यंत्रीकृत क्षेत्र के साथ कड़ी स्पर्धा और खराब संस्थागत कार्यढांचा विद्यमान है । इसके अलावा, हमारी नीतियों और कार्यक्रमों का आधार सहकारी संरचना पर तैयार किया गया है जिसमें बुनकरों की कुल जनसंख्या का केवल लगभग 15% भाग शामिल होता है । सहकारी समितियों से बाहर के बुनकर मुख्यत: बाजारी शक्तियों की दया पर निर्भर होते हैं और वे विभिन्न प्रकार की बाजारी अस्थिरता के शिकार होते रहते हैं । अत: एक व्यापक योजना तैयार की गई है जिसमें आधुनिकीकरण का ध्यान रखते हुए मूलभूत एवं तकनीकी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता सुधार, कुशलता उन्नयन, रंजक सुविधाओं में सुधार, मूल्यवर्धन, उत्पाद विविधीकरण, पर्यावरण अनुकूलता, बाजार विकास आदि से संबंधित मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा ।

2. विस्तृत हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना

2.1 हथकरघा क्षेत्र में 470 हथकरघा समूह हैं जिनमें से 240 समूहों में 1000 से कम हथकरघे हैं और 230 समूहों में 1000 से अधिक हथकरघे हैं । इन 230 समूहों में से 41 समूह ऐसे हैं जिनमें 25,000 से अधिक हथकरघे हैं । इन समूहों में से कुछ समूहों में बेहद खराब अवसंरचना और सामान्य सुविधाएं हैं जिनसे बुनकरों को कठिनाई उत्पन्न होती है । चूंकि ये समूह काफी बड़े हैं, इसलिए इन्हें एकीकृत हथकरघा विकास योजना में समुचित ढंग से शामिल नहीं किया जा सकेगा जिसके अंतर्गत 300-500 करघों वाले लघु समूहों की जरूरतों की पूर्ति की जाती है । इन समूहों के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी ताकि उन्हें अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सके । इस बात को ध्यान में रखते हुए सहकारी क्षेत्र के भीतर और उसके बाहर बुनकरों को होने वाली इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विस्तृत हथकरघा समूह विकास योजना लागू की गई है; इसमें स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, मास्टर बुनकरों से संबद्ध बुनकर और असंबद्ध बुनकर शामिल हैं । हथकरघा बुनकरों पर इस नई योजना के अंतर्गत सहायता हेतु ध्यान केंद्रित किया जाएगा । यद्यपि, बुनकरों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखने के लिए अनेक योजनाएं विद्यमान हैं, तथापि इस योजना का मुख्य जोर हथकरघा बहूल क्षेत्रों के एकीकृत और समग्र विकास की नीति की जरूरत पर आधारित होगा जिसमें अनेक

पारंपरिक, मानव जातीय और विविधीकरण के लिए सक्षम लुप्तप्राय बुनाई शिल्प और देश के भीतर और विदेश दोनों स्थानों पर वर्तमान बाजार मांगों की जरूरतों की पूर्ति शामिल होगी ।

2.2 विस्तृत हथकरघा क्लस्टर विकास योजना 70.00 करोड़ रूपए प्रति समूह की लागत से दो हथकरघा समूहों (वाराणसी और शिवसागर) के विकास हेतु कार्यान्वित की जाएगी जिसमें प्रत्येक में 25,000 करघे शामिल होंगे । इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय क्षेत्र की एक प्लान योजना के रूप में किया जाएगा ।

3. <u>उद्देश्य एवं कार्ययोजना:</u>

3.1 इस योजना का उद्देश्य बेहतर भंडारण सुविधाओं, करघा-पूर्व/करघागत/करघा-पश्चात प्रचालनों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनाई शेड, कुशलता उन्नयन, डिजाइन निविष्टियों, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के साथ अवसंरचना सुविधाओ को सुधार कर समूह में प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के बीच घनिष्ठ संपर्क एवं अंतर-निर्भरता के साथ विशिष्ट उत्पादों में विशेषता रखने वाले स्पष्ट रूप से अभिज्ञात किए जाने योग्य भौगोलिक स्थानों पर स्थित 2 बृहद समूहों का विकास करना है, जो अंततः घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बढ़ती हुई एवं बदलती हुई बाजार मांगों को पूरा करने और हथकरघा उद्योग में कार्यरत लाखों बुनकरों के जीवन स्तर को सुधारने में सक्षम होंगे । योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- सतत एवं विश्वसनीय ढंग से घरेलू एवं विश्वव्यापी बाजार में अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए हथकरघों को सशक्त बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण करना;
- खरीद, उत्पादन, विपणन एवं सतत विकास तथा विविधीकरण के संवर्धन हेतु अन्य सहायक कार्यकलापों के लिए हथकरघा बुनकरों एवं सेवा प्रदाताओं के समूहन को सुकर बनाना ;
- डिजाइन स्टूडियो की स्थापना एवं व्यावसायिक डिजाइनरों की भागीदारी द्वारा डिजाइन विकास पर उचित ध्यान देना;
- बाजार की बदलती हुई मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन की मदों को अभिज्ञात करने हेतु व्यावसायिक विपणन श्रृंखलाओं और विपणनकर्ताओं को शामिल करना;
- पर्याप्त प्रमुख एवं तकनीकी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन विकास, कच्ची सामग्री बैंक, विपणन एवं संवर्धन, ऋण, सामाजिक सुरक्षा एवं ऐसे अन्य संघटकों, जो हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की सतत धारिता के लिए महत्वपूर्ण हैं, के संबंध में अपेक्षित सहायता/संपर्क उपलब्ध कराना ;
- अधिकारिता एवं भागीदारी के तहत निर्णय लेने के वातावरण में एक सर्वसमावेशी तथा परिपूर्ण ढंग से हथकरघा समूहों के विकास की व्यवस्था करना;
- समूह में विभिन्न सरकारी तथा अन्य एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से योजनागत सहायता तथा सहायता सेवाओं के संयोजन को प्रोत्साहित करना ताकि हथकरघा बुनकरों की आजीविका, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और बुनकरों के आय के स्तर में वृद्धि करने हेतु संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके;
- सरकार, लाभानुभोगी बुनकरों एवं उनके समूह, वित्तीय रूप से ऋण योग्य एवं वाणिज्यिक रूप से संबद्ध विपणन उद्यमों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल ।

4. वृहद क्लस्टरों का क्षेत्र

4.1 शिक्षा के अभाव, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी एवं बाजार सुविधाओं आदि के अभाव के कारण हथकरघा बुनकर हमेशा बदलती हुई बाजार मांगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं । इसके साथ-साथ प्रौद्योगिकी के कम स्तर, खराब अवसंरचना सुविधाओं, अर्थात रंजक गृहों, सामान्य सुविधा केन्द्र, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, विद्युत, जल, सड़कों आदि जैसे लागत प्रभावी कारक भी हैं । इन अड़चनों को दूर करने और संस्थागत विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉड्यूल के रूप में प्रमुख हितबद्ध पक्षकारों को एकजुट करना आवश्यक होगा। देश के विभिन्न भागों में वृहद क्लस्टरों को उनके संपूर्ण विकास के लिए लिया जाएगा जिसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर व्यापक विकास योजनाएं तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना होगा । प्रत्येक वृहद समूह में 25,000 से अधिक करघे शामिल होंगे ।

4.2 उक्त क्लस्टरों में से प्रत्येक क्लस्टर के लिए सहायता का स्वरूप और स्तर जरूरत पर आधारित होगा और इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद विविधीकरण, कच्ची सामग्री बैंक, ऋण, बाजार विकास, परस्पर व्यापारोन्मुखी संपर्क, मानव संसाधन एवं कुशलता विकास, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक अवसंरचना, निर्यात एवं विपणन, कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी, यार्न डिपो हेतु संग्रह निधि आदि जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी संघटक शामिल होंगे ।

4.3 उपर्युक्त सूची केवल उदाहरणात्मक है न कि प्रतिबंधात्मक । स्थानीय जरूरतों के अनुकूल इसमें लोचशीलता होगी । परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा समूह-दर-समूह आधार पर परियोजना लागत में किसी संघटक को शामिल करने या अन्यथा के बारे में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

5. परियोजना संघटक

5.1 नैदानिक अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)तैयार करना

हथकरघा बहूल क्षेत्र को स्वावलंबी बनाने के लिए अपेक्षित विशिष्ट हस्तक्षेपों की जरूरत सुनिश्चित करने हेतु अभिज्ञात हथकरघा बहूल क्षेत्र का नैदानिक सर्वेक्षण प्राथमिक जरूरत है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रत्येक कार्यकलाप जिसे इस योजना के अलग-अलग संघटकों के लिए शुरू किया जाएगा, के अंतर्गत अपेक्षित ब्यौरे भी शामिल होंगे, जिनमें कार्यकलापवार वित्तीय प्रभाव, निधियां जारी करने की वित्तीय पद्धति के तरीके, कार्यान्वयन अनुसूची और अवधि आदि शामिल होगी । यह कार्यकलाप समूह प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) द्वारा अपनी जिम्मेवारियों के एक भाग के रूप में निष्पादित किया जाएगा और इसलिए इसकी पूर्ति सीएमटीए को भुगतान की जाने वाली समग्र परियोजना प्रबंधन लागत में से की जाएगी।

5.2 बुनकर समूह/एसपीवी का गठन -बुनकरों का संघटन

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के जरिए आर्थिक सुधार लागू किए जाने से भारत आर्थिक विकास के एक नए युग में प्रवेश कर गया है और इसलिए हथकरघा बुनकरों को विकास के सक्रिय उद्यमी-सह-प्राथमिक हितबद्ध पक्षकार बनाते हुए और उन्हें दृष्टव्य मंच पर लाते हुए उनके लिए बुनकर समूह/एसपीवी अधिकारिता कार्यक्रम तैयार करना जरूरी है ताकि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए

उनकी प्रचालनात्मक कुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके और उन्हें व्यवहारी एवं स्वावलंबी आर्थिक सत्ता बनाया जा सके । इस कार्यकलाप में बुनकरों को स्व-सहायता समूहों के रूप में समूहबद्ध करने, स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण आदि में उनका संगठन शामिल होगा ।

5.3 प्रौद्योगिकी उन्नयन

हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन विकास एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन लघु उद्योगों की स्थिति से पूर्णतः भिन्न है। हथकरघा बुनाई मानवीय और अत्यंत जटिल है जिसमें कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और यह अत्यंत वैयक्तिक एवं स्थानीय भी है और यह क्षेत्र दर क्षेत्र अलग-अलग होती है । प्रत्येक स्थान पर उत्पादन के परंपरागत तरीके होते हैं । अतः समूह में अपनायी गई वर्तमान बुनाई पद्धतियों का अध्ययन करना और करघों के लिए उपलब्ध बेहतर प्रौद्योगिकी की सिफारिश करना जरूरी होगा जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन लागत तथा परिश्रम में कमी आएगी और दूसरी ओर बुनकरों के आय के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी । अतः इस योजना के अंतर्गत करघा पूर्व, करघागत एवं कलकपुर्जों के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी ।

भारत सरकार की सहायता का स्तर 80% तक है और शेष 20% की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । तथापि, राज्य सरकार का अंशदान 10% से अधिक नहीं होगा ।

5.4 डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण

यह स्वीकार किया गया है कि डिजाइन एक ऐसा कार्यनीतिक साधन है, जिससे तेजी से बदलते हुए बाजारी वातावरण में शिल्पों को दिशा उपलब्ध हो सकती है । अतः हथकरघा विकास एवं संवर्धन हेतु डिजायनरों, प्रौद्योगिकीविदों, विपणनकर्ताओं एवं बुनकरों के बीच विविध सामग्रियों तथा स्थानों में समस्त स्तरों पर स्वीकार्य कार्यक्रमों के जरिए सतत संपर्क स्थापित करने की जरूरत है । इस योजना के अंतर्गत डिजाइन विकास, गुणवत्ता सुधार के जरिए वर्तमान उत्पादों के उन्नयन एवं विविधीकरण और समकालीन बाजारी जरूरतों की पूर्ति हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी । कंप्यूटर समर्थित वस्त्र डिजाइन प्रणाली से युक्त डिजाइन स्टूडियो की स्थापना और व्यावसायिक रूप से योग्य डिजायनर हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी ।

सीएटीडी प्रणाली सहित डिजाइन स्टूडियो के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु भारत सरकार की सहायता का हिस्सा 80% तक है और शेष 20% की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । तथापि, राज्य सरकार का अंशदान 10% से अधिक नहीं होगा । हालांकि, डिजायनर को कार्य पर लगाने के लिए सहायता पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ।

5.5 कच्ची सामग्री हेतु संग्रह निधि

भारत में घरेलू तथा विदेशी बाजार, दोनों में समाज के विभिन्न खंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने हेतु हथकरघा उद्योग में प्राकृतिक अर्थात सूती, ऊनी, रेशमी, जूट से लेकर कृत्रिम अर्थात सिंथेटिक, सेल्यूलोज एवं ऐसे धागों के बहुविध मिश्रणों तक विविध प्रकार के धागों की खपत की जाती है । अभी भी हथकरघा क्षेत्र को जो प्रमुख समस्याएं हो रही हैं, वे हैं- उचित कीमत पर एवं गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री की उपलब्धता । तैयार उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री के महत्व पर विचार करते हुए यह जरूरी हो गया है कि मूल्यवर्धित वस्त्र उत्पादों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु उचित कीमतों पर स्वीकार्य गुणवत्ता के धागों की विभिन्न किस्मों की उपलब्धता बढ़ाई जाए । अतः वृहद समूहों में यार्न

डिपो खोलना आवश्यक हो गया है ताकि हथकरघा बुनकरों/सोसायटियों को गुणवत्ता युक्त धागे/रंगों तथा रसायनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ।

अत: इस योजना के अंतर्गत डिपो की स्थापना एवं कच्ची सामग्रियों की खरीद और प्रचालन व्यय के लिए अस्थायी निधि के सृजन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी । वृहद समूहों में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ के जरिए धागे की नियमित आपूर्ति हेतु 5.00 करोड़ रूपए की एक संग्रह निधि का सृजन किया जाएगा ।

5.6 कार्यशील पूंजी हेतु ऋण

बुनकरों को ऋण की जरूरत एक ऐसा प्राथमिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जिसका तुरंत समाधान करने की जरूरत है । संगठित ढांचे में बुनकरों को केवल सहकारी रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसकी स्थिति आज भी अत्यंत विलक्षण है । तथापि, सहकारी ढांचे के बाहर बुनकरों की ओर अब तक सरकार का ध्यान नहीं गया है और बुनकरों का एक बड़ा प्रतिशत या तो संस्थागत ऋण से वंचित है या उसे यह ऋण मिलता ही नहीं है । यह बुनकर मुख्यत: मास्टर बुनकरों और व्यापारियों पर निर्भर होते हैं जो ब्याज की भारी दर की वसूली सहित कई प्रकार से उनका शोषण करते हैं । अत: यह जरूरी है कि हथकरघा क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए बुनकरों को निधियां उपलब्ध करायी जाएं । इसके साथ-साथ ऋण लागत अधिक है जिससे हथकरघा उत्पादों की लागत बढ़ जाती है और वे विद्युतकरघा उत्पादों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी बन जाते हैं ।

औपचारिक बैंकिंग प्रणाली और लघु वित्तीय संस्थानों के जरिए ऋण की आसान पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी के रूप में सहायता भी प्रदान की जाएगी । परियोजना अवधि के दौरान परियोजना लागत के 5% तक की सहायता मार्जिन मनी हेतु प्रदान की जाएगी।

7% वार्षिक रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए उधारदाता संस्थानों को 5% की छूट प्रदान की जाएगी । परियोजना अवधि के दौरान छूट हेतु 5.00 करोड़ रूपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी ।

5.7 बाजार विकास

विपणन के व्यापारीकरण को भारत में हथकरघा क्षेत्र की वृद्धि और विकास के केन्द्र के रूप में स्वीकार किया गया है । उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क उपलब्ध कराने के लिए घरेलू विपणन महत्वपूर्ण है । तथापि, हथकरघा बुनकरों के पास बाजारी प्रवृत्ति के बारे में उचित पूरक सूचना नहीं होती है। इससे कई बार स्टॉक का संचयन हो जाता है जिससे उत्पादन-डिलीवरी चक्र में बाधा आ जाती है ।

अत: योजना के इस भाग का उद्देश्य समूचे देश में कार्यनीतिक स्थानों पर अनेक विपणन कार्यक्रमों के आयोजन और शिल्पकारों को लाभकारी कीमतों पर अपने उत्पादों की सीधी बिक्री हेतु आमंत्रित करने के लिए विपणन आउटलेटों को उपलब्ध करवाकर भारतीय हथकरघा के बारे में ब्रांड एवं लोगों के बीच जागरूकता के सृजन के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है । विपणन आयोजनों में क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनियां, अन्य राज्यों के हथकरघा पॉकेटों का बुनकरों द्वारा प्रदर्शन दौरा, वैबसाइट का विकास एवं रखरखाव, बाजार आसूचना/सर्वेक्षण आदि शामिल होंगे । इस योजना के अंतर्गत विपणन कॉम्लेक्स की स्थापना की भी अनुमति है जिसे पीपीपी पद्धति में स्थापित किया जाएगा । भूमि राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा न होने पर एसपीवी द्वारा विपणन कॉम्पलैक्स की स्थापना हेतु भूमि की खरीद की जाएगी ।

भारत सरकार की सहायता का स्तर 80% तक है और शेष 20% की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । तथापि, राज्य सरकार का अंशदान 10% से अधिक नहीं होगा ।

5.8 निर्यात

हथकरघा निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वह देश के लिए एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक है । मुक्त विश्वव्यापी व्यापार होने के कारण केवल वे ही टिकने में समर्थ होते हैं जो प्रतिस्पर्धी कीमत पर गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने में समर्थ होते हैं । यद्यपि, विकसित बाजारों में नवीकृत वृद्धि हेतु अवसर सृजित किए जा रहे हैं, तथापि, हमारी क्षमताओं और कमजोरियों का आकलन करने की तत्काल जरूरत है ताकि हथकरघा क्षेत्र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की ताकतों का सामना कर सके । यह उल्लेख किया गया है कि हथकरघा क्षेत्र द्वारा निर्यात में विद्युतकरघा की तुलना में समग्र इकाई मूल्य प्राप्ति के संबंध में बेहतर निष्पादन प्रदर्शित किया जाता है । अत:अब समय आ गया है कि घरेलू उत्पादन आधार में वस्तुओं की निर्यात योग्य किस्म के विकास हेतु लगाए गए उतने ही उत्पादन समय के लिए बुनकरों की आय को बढ़ाने की क्षमता का दोहन किया जाए । योजना के अंतर्गत ब्रांड संवर्धन, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैंठकों, परिधान इकाई की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, वेयरहाउसों, डिजाइन स्टूडियों आदि के जरिए निर्यात बाजारों को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार की सहायता का स्तर 80% तक है और शेष 20% की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । तथापि, राज्य सरकार का अंशदान 10% से अधिक नहीं होगा ।

5.9 मूलभूत एवं तकनीकी अवसंरचना

इस योजना के अंतर्गत वार्पिंग, रंगाई, करघा पूर्व एवं पश्चात प्रचालनों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, जल अभिक्रिया संयंत्र, निस्तारण अभिक्रिया संयंत्र, जांच प्रयोगशालाओं, व्यापक उत्पादन हेतु सामान्य कार्यशाला, प्रदर्शनी हॉल, प्रदर्शन-सह-शोरूम, सम्मेलन हॉल, भंडार गृह की स्थापना एवं डीपीआर में सुझाई गई किसी अन्य मद के लिए सहायता उपलब्ध होगी । इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा न होने पर भूमि की खरीद एसपीवी करेगी । सीएफसी/डाई हाऊस का संचालन प्रयोक्ता प्रभार आधार पर किया जाएगा और स्थापित सुविधाएं समूह में और उसके आस-पास रहने वाले सभी बुनकरों के लिए उपलब्ध होंगी ।

सामान्य अवसंरचना के विकास हेतु भी सहायता उपलब्ध होगी, जिससे बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार होगा और इसकी मात्रा विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत जारी की जाने वाली कुल सहायता के 10% से अधिक नहीं होगी । इससे उत्पादकता में अप्रत्यक्ष योगदान मिलेगा और समग्र कार्य की स्थितियों में सुविधा मिलेगी । अवसंरचना बुनकर इलाके में उपलब्ध कराई जा सकती है जिसमें शामिल हैं:

(i) जहां सड़कें नहीं हैं वहां समूह को सड़क से जोड़ना
(ii) सड़कों की मरम्मत
(iii) पथ-प्रकाश
(iv) बोर वैल

(v) प्राथमिक विद्यालय भवन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार ।
(vi) डीपीआर में सुझाई गई कोई अन्य मद ।

भारत सरकार की सहायता का स्तर 80% तक है और शेष 20% की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । तथापि, राज्य सरकार का अंशदान 10% से अधिक नहीं होगा ।

उन बुनकरों के लिए कार्यशालाओं के निर्माण हेतु भी सहायता उपलब्ध होगी, जिनके पास करघों को रखने के लिए अपना खुद का कोई कार्यस्थल नहीं है और जो मास्टर बुनकर/सोसायटी के करघों पर दूसरे स्थान पर कार्य कर रहे हैं । इस संघटक के लिए सहायता बीपीएल बुनकरों को निर्माण हेतु 25,000 रूपए प्रति कार्यशाला की दर से प्रदान की जाएगी जबकि बीपीएल से भिन्न बुनकरों को केन्द्र सरकार द्वारा 75% अर्थात 18,750 रूपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी और शेष की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ।

5.10 प्रचार

भारत के भीतर हथकरघों के प्रदर्शन और विभिन्न हथकरघा उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार भारत में हथकरघों की बिक्री को बढ़ाने के अवसर खोलने की दृष्टि से आंतरिक प्रचार अर्थात वीडियो फिल्मों के निर्माण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए प्रचार, शहरों में प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग, ब्लो-अप्स, बैनर, अनन्य वेबसाइटों जैसे आईटी संबद्ध माध्यम के जरिए प्रचार, कैटलॉग, फैशन शो, सीडी-आरओएमस आदि तैयार करने तथा हथकरघा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के संबंध में भारत में किए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और भारतीय दूतावासों की सिफारिश पर अन्य आयोजनों के सामान्य विज्ञापन, हथकरघा से संबंधित ब्रोचरों/कैटलॉग/फोल्डरों/राज्य मानचित्रों आदि के मुद्रण/प्रकाशन आदि के लिए वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा ।

भारत सरकार की सहायता का स्तर 80% तक है और शेष 20% की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । तथापि, राज्य सरकार का अंशदान 10% से अधिक नहीं होगा ।

5.11 कुशलता उन्नयन

विपणन चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्नत गुणवत्ता वाले विविधीकृत उत्पादों का उत्पादन करने हेतु हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण महत्वपूर्ण निविष्टियां हैं । इस योजना के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय कुशलताओं के उन्नयन से संबंधित मुद्दों के लिए समग्र नीति का प्रावधान है ।

कुशलता उन्नयन के लिए सहायता का वित्तपोषण पूर्णतः भारत सरकार द्वारा किया जाएगा ।

5.12 मूल्यवर्धन (वस्त्र/परिधान इकाईयां आदि)

हथकरघा क्षेत्र विभिन्न प्रकार के तन्तुओं का उत्पादन करता है जिनके विविध अंतिम उपयोग होते हैं। विविध अंतिम उपयोगों के साथ करघों पर इस प्रकार से तैयार किए गए फैब्रिकों की पहचान उत्पाद को अंतिम रूप में तैयार किए जाने के बाद ही होती है । अतः एक ऐसा वस्त्र इकाई की स्थापना करने की

जरूरत है जहां उत्पादित फैब्रिक को परिधानों, आच्छादनों आदि में परिवर्तित किया जाएगा जिसकी मूल्य प्राप्ति मूलभूत फैब्रिक से अधिक होगी ।

भारत सरकार की सहायता का स्तर 80% तक है और शेष 20% की पूर्ति एसपीवी/लाभानुभोगियों/हितबद्ध पक्षकारों/ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । तथापि, राज्य सरकार का अंशदान 10% से अधिक नहीं होगा ।

5.13 शहतूती/गैर-शहतूती रेशम कीड़ों के लिए चारा पौधों का रोपण

कुछेक समूह मूगा, ऐरी रेशम आदि की कमी का सामना करते हैं अत: शहतूती/गैर-शहतूती रेशम कीड़ों के लिए चारा पौधों के रोपण के क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है ।

इस संघटक के लिए सहायता की पूर्ति वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं से की जाएगी ।

5.14 अभिनव विचार

योजना के लिए आवंटित बजट के 10% तक का उपयोग अभिनव विचारों के लिए किया जा सकता है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान ध्यान में आ सकते हैं और जिन्हें अनुमोदन के समय योजना में शामिल नहीं किया गया हो ।

5.15 प्रचार, निगरानी, पर्यवेक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार, सूचना का प्रसार, प्रशिक्षण, अध्ययन, आईटी समर्थित निगरानी तंत्र तथा योजना का मूल्यांकन ।

प्रचार, निगरानी, पर्यवेक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार, सूचना का प्रसार, प्रशिक्षण, अध्ययन, आईटी समर्थित निगरानी तंत्र तथा योजना केमूल्यांकन आदि के लिए 1.00 करोड़ रूपए तक प्रति वर्ष उपलब्ध होंगे ।

5.16 परियोजना प्रबंधन लागत

समूह के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु परियोजना प्रबंधन शुल्क का भुगतान समूह प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) को किया जाएगा । दोनों समूहों के लिए सीएमटीए का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा ।

6. वित्तपोषण की पद्धति

6.1 सीएचसीडीएस के अंतर्गत सहायता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में उल्लिखित विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध होगी परंतु अनुदान भूमि की खरीद हेतु उपलब्ध नहीं होगा ।

6.2 भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से सीएचसीडीएस के अंतर्गत 70.00 करोड़ रूपए की सीमा से अधिक की निधियों का प्रावधान संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा ।

टिप्पणी: इस योजना में शामिल संघटक केवल उदाहरणात्मक हैं और प्रत्येक वृहद समूह का विकास विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुकूल किया जाएगा । परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा

समूह-दर-समूह आधार पर प्रत्येक परियोजना में किसी संघटक को शामिल करने या अन्यथा के बारे में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

7. कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली एवं कार्यढांचा

7.1 इस स्वरूप की किसी परियोजना, जो जरूरत पर आधारित, विविध हितबद्ध पक्षकार द्वारा संचालित, परिपूर्ण एवं परिणामोन्मुखी होती है, के लिए ऐसी संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाओं की जरूरत होगी, जो कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम और उनके अनुकूल हों ।

7.2 वस्त्र मंत्रालय द्वारा जरूरतों, अंतरालों को अभिज्ञात करने और आधार संदर्भ आंकड़े तैयार करने तथा अवसंरचना, तकनीकी, वित्तीय, संस्थागत एवं नैदानिक अध्ययन के आधार पर कार्यान्वयन के पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए लक्षित समूहों का विस्तृत नैदानिक अध्ययन करने हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली के जरिए उक्त दोनों समूहों के लिए समूह प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) का चयन किया जाएगा ।

7.3 इस डीपीआर में आकलन योग्य प्रत्येक हस्तक्षेप के संभावित परिणामों की स्पष्ट तौर पर पुष्टि की जाएगी । बुनकर एसोसिएशनों/परिसंघों के प्रतिनिधियों, सहायता प्रदायी संस्थानों, सेवा प्रदाताओं, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एजेंसियों सहित समूह के प्रमुख हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नैदानिक अध्ययन एवं डीपीआर का वैधीकरण किया जाएगा ।

7.4 प्रमुख हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधित्व के साथ समूह स्तर पर विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) की स्थापना ।

7.5 परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा डीपीआर का अनुमोदन ।

7.6 एसपीवी द्वारा डीपीआर के किसी हस्तक्षेप के लिए यथापेक्षित भूमि की खरीद ।

7.7 डीपीआर में उल्लेखित चरणों के अनुसार हस्तक्षेप का कार्यान्वयन ।

7.8 डीपीआर में परिभाषित परिणामों पर हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन ।

8. क्लस्टर प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए)

(i) प्रस्तावित परियोजना के स्वरूप के अंतर्गत "अवधारणा" से लेकर "शुरूआत" आधार तक सकारात्मक तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता की जरूरत होती है जिसके लिए एक समूह प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) की सेवाएं ली जाएंगी जिसके पास तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय, अवसंरचना के संबंध में प्रमाणित क्षमता और डिजाइन एवं समूह उन्मुखी हस्तक्षेपों के निष्पादन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण विशेषज्ञता होग ।

(ii) हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन में सीएमटीए द्वारा समूह हितबद्ध पक्षकारों और एसपीवी के साथ सकारात्मक ढंग से कार्य किया जाएगा । सीएमटीए की जिम्मेदारियों के निर्देशात्मक सूची निम्न अनुसार है :-

- नैदानिक अध्ययन करना ।
- डीपीआर तैयार करना ।

- प्रस्तावित परियोजना का भाग बनने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को जागरूक बनाना और उन्हें संगठित करना ।
- एसपीवी की स्थापना और उनका गठन ।
- परियोजना के लिए निधियां जारी करना/उन्हें जुटाने में मंत्रालय/एसपीवी की सहायता । इस प्रकार के संघटन में बैंकों से ऋणों के प्रयास के अलावा सरकार की संगत योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करना शामिल होगा ।
- अपेक्षित सांविधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने में एसपीवी की सहायता।
- डीपीआर में उल्लेखित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन/निष्पादन हेतु विशिष्ट हथकरघा प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण, डिजाइनिंग, कुशलता विकास, विपणन, वित्तपोषण आदि से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं/परामर्शदाताओं के अभिज्ञान और उनकी नियुक्ति में एसपीवी की सहायता करना ।
- एसपीवी एवं विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों, खासकर सरकारी संगठनों, क्रेताओं और वित्तीय संस्थानों के बीच विचार-विनिमयकारी सहायता एवं संपर्क उपलब्ध कराना ।
- उल्लेखित परिणामों की प्राप्ति के बारे में वस्त्र मंत्रालय को आवधिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना ।

9. विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)

i. कोई विविध हितबद्ध पक्षकार समूह स्तर की विधिक सत्ता, अधिमानतः कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई कंपनी प्रत्येक समूह के लिए स्थापित की जाएगी । यह वस्त्र मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों से सहायता अनुदान प्राप्त करेगी ।

ii. ऐसा एसपीवी हस्तक्षेपों/परियोजना के अंतर्गत सृजित सुविधाओं के स्वामित्व/निष्पादन और प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होगा ।

iii. ऐसे एसपीवी की अधिकांश इक्विटी समूह के बुनकरों/दस्तकारों/शिल्पकारों के पास और/अथवा उनकी एसोसिएशनों/सहकारी समितियों/परिसंघों/स्व-सहायता समूहों के पास होगी । शेष हिस्सेदारी क्रेताओं, खुदरा चेन गृहों बड़ी प्रसंस्करण इकाइयों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकार की एजेंसियों आदि के पास होगी जो इसके हिस्सेधारक बन सकते हैं जिनकी इक्विटी की हिस्सेदारी 40% से अधिक नहीं होगी ।

iv. हालांकि समूह के लिए एसपीवी एक ही सत्ता होगी तथापि, डीपीआर में उल्लेखित प्रत्येक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजना के लिए पृथक विधिक सत्ताएं स्थापित की जा सकती हैं जो समूह एसपीवी की सहायक कंपनियां होंगी ।

v. प्रत्येक समूह के लिए एसपीवी एक केन्द्रीय बिन्दु होगा और वह निम्नलिखित भूमिका के भीतर परियोजना के प्रत्येक संघटक के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेवार होगा :

- एसपीवी सेवा एवं प्रयोक्ता प्रभारों के संग्रहण से सृजित उपयोगिताओं और सुविधाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होगा ।
- एसपीवी का गठन इस प्रकार से किया जाएगा ताकि वह सकारात्मक राजस्व के प्रवाह के साथ स्वावलंबी हो ।
- एसपीवी द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संविदाकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी । परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए एसपीवी द्वारा परामर्शदाताओं/संविदाकारों से समुचित निष्पादन गारंटी प्राप्त की जाएगी ।

टिप्पणी: जिन मामलों में एसपीवी का गठन संभव नहीं होगा, उनमें विस्तृत समूह विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकार/किसी अन्य एजेंसी के जरिए किया जाएगा ।

10. <u>योजना के प्राप्तव्य परिणाम/लाभ</u>

10.1 प्रत्येक समूह के सांकेतिक गुणवत्तात्मक एवं मात्रात्मक प्राप्तव्य परिणाम निम्नलिखित के संबंध में होंगे :

- हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों के रोजगार को बनाए रखना;
- एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाना;
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर बदलती हुई बाजार मांग के अनुकूल उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना;
- उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि;
- अवसंरचना में सुधार और निविष्टि की आपूर्ति को बढ़ाकर उत्पादन लागत कम करना ;
- निर्यातों के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन;
- हथकरघा बुनकरों की आय के स्तर को बढ़ाना;
- हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार करना ।

11. <u>परियोजना की अवधि</u>

11.1 परियोजना अवधि 5 वर्ष है ।

12. <u>सहायता की मात्रा</u>

12.1 सहायता की मात्रा जरूरत पर आधारित होनी चाहिए, जो समूह की अपेक्षा, समूह विकास परियोजना में परिकल्पित कार्यकलापों के क्षेत्र, समूह विकास संगठन की तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता, समूह की परिपक्वता के स्तर एवं पूर्ववृत्त पर निर्भर होगी । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम अनुमत्य लागत 5 वर्ष की अवधि के लिए 70.00 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी ।

12.2 एमएसएमई, ग्रामीण, शहरी विकास, वाणिज्य आदि मंत्रालयों जैसे अन्य मंत्रालयों की स्कीमों से परियोजना का पोषण किया जाएगा ।

13. <u>निधियां जारी करना</u>

13.1 समूह विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियां जारी करने की सांकेतिक पद्धति निम्नानुसार है:-

पहली किस्त के रूप में	15%
दूसरी किस्त के रूप में	25%
तीसरी किस्त के रूप में	30%
चौथी किस्त के रूप में	20%

पांचवीं किस्त के रूप में 10%

तथापि, वास्तविक निर्गम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, कार्यान्वयन की प्रगति, उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण आदि पर निर्भर होगा ।

13.2 भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना (ओं) के अंतर्गत सहायता के निर्गम हेतु एसपीवी (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पीएएमसी) के विचारार्थ वस्त्र मंत्रालय को अपना दावा प्रस्तुत किया जाएगा । समीक्षा के बाद पीएएमसी द्वारा सहायता जारी करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग को दावे की संस्तुति दी जाएगी ।

13.3 एसपीवी (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा संगत नियमानुसार अपेक्षित जीएफआर 19ए के प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, पूर्व प्राप्ति बिल, प्रतिभूति बंध-पत्र आदि जैसे दस्तावेजों के साथ अपने दावे विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को अग्रेषित किए जाएंगे ।

13.4 भारत सरकार द्वारा निर्गत निधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अलग से लेखा रखा जाएगा, जो लेखा परीक्षा के अधीन होगा ।

14. परियोजना अनुमोदन तथा निगरानी समिति(पीएएमसी)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर परियोजना अनुमोदन तथा निगरानी समिति(पीएएमसी) द्वारा विचार किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा । पीएएमसी द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी । पीएएमसी का गठन निम्नानुसार है:-

- सचिव (वस्त्र) - अध्यक्ष
- सलाहकार (वीएसई), योजना आयोग - सदस्य
- अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य
- संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग - सदस्य
- विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य
- संयुक्त सचिव (वृहद समूह), वस्त्र मंत्रालय - सदस्य
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के संयुक्त सचिव - सदस्य
- आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य
- निदेशक (वृहद समूह), वस्त्र मंत्रालय - सदस्य
- आयुक्त/निदेशक प्रभारी हथकरघा एवं वस्त्र, संबंधित राज्य सरकार - सदस्य
- अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य सचिव

15. निगरानी

15.1 समूह स्तर पर परियोजना की निगरानी एसपीवी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी जिसमें क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट, वित्तीय संस्थानों, निर्यातक, डिजायनर, राज्य सरकार का प्रतिनिधि, बुनकर सेवा केन्द्र का

प्रभारी अधिकारी और विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय एवं वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ।

15.2 मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक परियोजना की निगरानी सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा की जाएगी ।